राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर

क्रमांक/नर्सिग/सामान्य/2019/ दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखने मे आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उनके अधीन नवनियुक्ति पर पदस्थापित नर्स–2/फार्मासिस्ट के द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने पर उनके द्वारा कार्मिकों के स्थायीकरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, जिनमे कई प्रकार की कमियां पाये जाने के कारण अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है अतः निम्नानुसार परीक्षण उपरांत ही प्रस्ताव प्रेषित किये जावें:–

1. कार्मिक की जन्म तिथि (नियुक्ति आदेश/अंकतालिका) के अनुसार।
2 कार्मिक की प्रथम कार्यग्रहण तिथि (सेवा पुस्तिका) के अनुसार।
3. कार्मिक का नाम (नियुक्ति आदेश/अंकतालिका) के अनुसार।
4. कार्मिक द्वारा यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश का उपभोग किया गया हो तो अवकाश स्वीकृत के पश्चात ही प्रस्ताव प्रेषित करें।
5. कार्मिक की विभागीय जांच की सूचना।
6 उक्त प्रस्ताव संबधित कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी द्वारा परीक्षणोंपरांत प्रमाणित कर भिजवायें।
7. प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप मे प्रेषित करे (अवकाश अवधि का आंकलन करें)

उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से तैयार करने के उपरान्त ही स्थायीकरण प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायें यदि कोई भी प्रकरण बिना जांच/परीक्षण के भिजवाया जावेगा तो विलम्ब के लिये संबधित अधिकारी/कर्मचारी दोषी होगें।

–Sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक/नर्सिग/सामान्य/2019/51
दिनांकः– 22/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 समस्त प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविधालय राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–राजस्थान।
3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6 आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।